राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 244वीं बैठक दिनांक 22.12.2020 को 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1	श्री भास्कर ए. सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
3	श्री आर. के. विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
4	श्रीमती संचिता बिश्नोई	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), डॉ. पृथ्वी राज द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1	श्रीमती रेखा भास्कर	वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी,राज. आवासन मण्डल
	श्रीमती कश्मी कौर रॉन	मुख्य सम्पदा प्रबन्धकए राज.आवासन मण्डल
	श्रीमती प्रभा व्यास	संपदा प्रबन्धक(भूमि), राज.आवासन मण्डल
	श्री के.सी.मीणा	मुख्य अभियंता प्रथम, राज.आवासन मण्डल
	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियंता द्वितीय, राज.आवासन मण्डल
	श्री लेखराज जाग्रत	निदेशक (विधि), राज॰आवा॰मण्डल
	श्री नत्थू राम	अति.मुख्य अभियंता, प्रथम
	श्री संजय पूनिया	अति.मुख्य अभियंता, तृतीय
	श्री संतशरण	उप नगर नियोजक
	श्री प्रमोद कुमार वैष्णव	जन सम्पर्क अधिकारी

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
244.1	दिनांक 21.09.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 243वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 21.09.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 243वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
244.2	दिनांक 21.09.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 243वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	विचार–विमर्श उपरान्त दिनांक 21.12.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 243वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary
244.3	कनिष्ठ सहायक से कनिष्ठ विधि अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार कनिष्ठ सहायक से कनिष्ठ विधि अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल	Secretary

		कर्मचारी विनियम 2010 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का भी निर्णय लिया गया।	
244.4	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 3 (जोन–32) में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+12) के 256 फ्लेट्स ब्लॉक–ए के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1328. 00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 3 (जोन–32) में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+12) के 256 फ्लेट्स ब्लॉक–ए के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1328.00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
244.5	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 3 (जोन–32) में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+12) के 248 फ्लेट्स ब्लॉक–बी के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1299.36 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 3 (जोन–32) में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+12) के 248 फ्लेट्स ब्लॉक–बी के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1299.36 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई	CE-I
244.6	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 3 (जोन–32) में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग (जी+12) के 208 फ्लेट्स ब्लॉक–सी के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1542.40 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 3 (जोन–32) में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग (जी+12) के 208 फ्लेट्स ब्लॉक–सी के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1542.40 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
244.7	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 28 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 28 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना	CE-I

	आवास योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग (जी+11) के 192 फ्लेट्स ब्लॉक–ए1+बी1 के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1437.28 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग (जी+11) के 192 फ्लेट्स ब्लॉक–ए1+बी1 के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1437.28 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
244.8	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 28 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग (जी+11) के 192 फ्लेट्स ब्लॉक–ए के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1437.28 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 28 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग (जी+11) के 192 फ्लेट्स ब्लॉक–ए के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1437.28 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
244.9	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 28 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग (जी+11) के 192 फ्लेट्स ब्लॉक–बी के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1437.28 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 28 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग (जी+11) के 192 फ्लेट्स ब्लॉक–बी के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1437.28 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
244.10	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 28 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+10) के 240 फ्लेट्स ब्लॉक–सी के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1235.46 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 28 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+10) के 240 फ्लेट्स ब्लॉक–सी के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1235.46 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
244.11	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 28 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 28 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित	CE-I

	भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+10) के 240 फ्लेट्स ब्लॉक–डी के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1235.46 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	भूखण्ड में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+10) के 240 फ्लेट्स ब्लॉक–डी के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1235.46 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
244.12	राजस्थान आवासन मण्डल की इंदिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 7 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या GH-3 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+10) के 340 फ्लेट्स के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1755. 00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	विस्तुत विचार विमर्श पश्चात् एजेण्डा डेफर किया गया।	CE-I
244.13	राजस्थान आवासन मण्डल की इंदिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 7 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या GH-4 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+10) के 104 फ्लेट्स एवं अल्प आय वर्ग (जी+10) के 144 फ्लेट्स, जोन–प्रथम के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1630.00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	विस्तुत विचार विमर्श पश्चात् एजेण्डा डेफर किया गया।	CE-I
244.14	राजस्थान आवासन मण्डल की इंदिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 7 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या GH-4 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग (जी+10) के 144 फ्लेट्स, जोन–द्वितीय के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1092.00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	विस्तुत विचार विमर्श पश्चात् एजेण्डा डेफर किया गया।	CE-I

244.15	राजस्थान आवासन मण्डल की निवाई आवासीय योजना, निवाई, जिला–टोंक के फेज–द्वितीय में प्रस्तावित मध्यम आय वर्ग–ब के 21 एवं उच्च आय वर्ग के 54 स्वतंत्र आवासों के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1203.39 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की निवाई आवासीय योजना, निवाई, जिला–टोंक के फेज–द्वितीय में प्रस्तावित मध्यम आय वर्ग–ब के 21 एवं उच्च आय वर्ग के 54 स्वतंत्र आवासों के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1203.39 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
244.16	राजस्थान आवासन मण्डल की निवाई आवासीय योजना, निवाई, जिला–टोंक के फेज–द्वितीय में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 38, अल्प आय वर्ग के 165 एवं मध्यम आय वर्ग–अ के 39 स्वतंत्र आवासों के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1224. 98 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की निवाई आवासीय योजना, निवाई, जिला–टोंक के फेज–द्वितीय में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 38, अल्प आय वर्ग के 165 एवं मध्यम आय वर्ग–अ के 39 स्वतंत्र आवासों के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1224.98 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
244.17	राजस्थान आवासन मण्डल की महला आवासीय योजना, जयपुर के ब्लॉक–जी में प्रस्तावित अल्प आय वर्ग के 142 एवं मध्यम आय वर्ग–अ के 136 स्वतंत्र आवासों के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1402.25 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की महला आवासीय योजना, जयपुर के ब्लॉक–जी में प्रस्तावित अल्प आय वर्ग के 142 एवं मध्यम आय वर्ग–अ के 136 स्वतंत्र आवासों के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1402.25 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
244.18	राजस्थान आवासन मण्डल की वाटिका आवासीय योजना, जयपुर के जोन–बी में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 81, अल्प आय वर्ग के 120 एवं मध्यम आय वर्ग–अ के 83 स्वतंत्र आवासों के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1238.29 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की वाटिका आवासीय योजना, जयपुर के जोन–बी में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 81, अल्प आय वर्ग के 120 एवं मध्यम आय वर्ग–अ के 83 स्वतंत्र आवासों के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1238.29 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
244.19	राजस्थान आवासन मण्डल की जयपुर स्थित आवासीय योजनाओं में विभिन्न स्थानों पर विडियों वॉल लगाने के कार्य	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की जयपुर स्थित आवासीय योजनाओं में विभिन्न स्थानों पर विडियों वॉल लगाने के	CE-I

	की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 157.30 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 157.30 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
244.20	पानेरियों की मादडी, उदयपुर में अवाप्त भूमि के बदले 15 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण संचालक मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करने बाबत्।	विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् प्रस्तावानुसार पानेरियों की मादडी, उदयपुर में अवाप्त भूमि के बदले 15 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने का भी निर्णय लिया गया एवं निर्देश दिये गये की इस प्रकृति के अन्य प्रकरण जो मंडल हित में है, उन्हें भी प्रस्तुत किया जाये ।	EM(L)/ Secretary
244.21	Ex-post facto approval of Bid for construction of Institutional Block-A in Coaching Hub in Sector-16, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।	CE-HQ
244.22	Ex-post facto approval of Bid for construction of Institutional Block-B in Coaching Hub in Sector-16, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।	CE-HQ
244.23	Ex-post facto approval of Bid for Construction of Institutional Block-C in Coaching Hub in Sector-16, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE (HQ)
244.24	Ex-post facto approval of Bid for Construction of Institutional Block-D in Coaching Hub in Sector-16, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।	CE (HQ)
244.25	Ex-post facto approval of Bid for Construction of Institutional Block-E in Coaching Hub in Sector-16, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE (HQ)
244.26	निजी सचिव के 01 पद को प्रमुख निजी सचिव के पद में क्रमोन्नत करने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु।	प्रस्तावानुसार निजी सचिव के 01 पद को प्रमुख निजी सचिव के पद में क्रमोन्नत करने एवं राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम–2010 में प्रावधान करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary

244.27	मण्डल दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुबन्ध पर कार्मिकों की नियुक्ति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मण्डल दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुबन्ध पर कार्मिकों को रखे जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
244.28	राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवास/फ्लैट जिनकों आमजन को किराया क्रय पद्धति में आवंटन/निस्तारण हेतु ई–सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित किया गया उनमें से शेष बचे आवास/फ्लैटों की लागत/एम.बी.पी. को दिनांक 30.06.2021 तक फ्रिज करने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवास/फ्लैट जिनकों आमजन को किराया क्रय पद्धति में आवंटन/निस्तारण हेतु ई–सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित किया गया उनमें से शेष बचे आवास/फ्लैटों की लागत/एम.बी.पी. को दिनांक 30.06.2021 तक फ्रीज़ करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
244.29	कोविड–19 के मद्देनजर आमजन को राहत पहुचाने के उद्देश्य से भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा–विलेख/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उप विभाजन/पुर्नगठन, भू उपयोग परिवर्तन द्वारा जारी राशि जमा कराने की अवधि 31.03.2021 तक छूट प्रदान करने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार कोविड–19 के मद्देनजर आमजन को राहत पहुचाने के उद्देश्य से प्रस्ताव में अंकित राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प3(212)नविवि/3/2011, दिनांक 23.09.2020 की अनुपालना में भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा–विलेख/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उप विभाजन/पुर्नगठन, भू उपयोग परिवर्तन द्वारा जारी राशि जमा कराने की अवधि 31.03.2021 तक छूट प्रदान करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही इस संबंध में प्रक्रिया में सरलीकरण संबंधी राज्य सरकार द्वारा अन्य निकायों के लिये जारी किये गये परिपत्र को मंडल में भी लागू करने का निर्णय लिया गया।	CEM
244.30	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई–सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासों/फ्लेट्स को प्रस्ताव अनुसार 0–25% एवं 0–50% स्लेब में ई–सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई–सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासों/फ्लेट्स को प्रस्ताव अनुसार 0–25% एवं 0–50% स्लेब में ई–सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM

244.31	ग्राम गोविन्दपुरा के खसरा नं. 11, रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा में से अवाप्ति से शेष 5 बीघा भूमि आपसी समझौते से लिये जाने बाबत्।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त ग्राम गोविन्दपुरा के खसरा नं. 11, रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा में से 3 बीघा 07 बिस्वा एवं अवाप्ति से शेष 5 बीघा भूमि आपसी समझौते से (25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड के बदले) लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	EM(L)/ Secretary
244.32	राजस्थान एवं रीजनल स्वीप सेन्टर, भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के कार्यालय भवन के निर्माण के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राजस्थान एवं रीजनल स्वीप सेन्टर, भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के कार्यालय भवन के निर्माण के संबंध में की गयी कार्यवाही का अवलोकन किया गया एवं क्रियान्विति करने का निर्णय लिया गया।	DHC(QC)/ CE-I
244.33	मण्डल की आवासीय योजना हेतु ग्राम भवानी मण्डी तहसील पंचपहाड, जिला झालावाड, कुल रकबा 16–01 बीघा की उपयोगिता के संबंध में।	मण्डल की आवासीय योजना हेतु ग्राम भवानी मण्डी तहसील पंचपहाड, जिला झालावाड, कुल रकबा 16–01 बीघा की उपयोगिता के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श हुआ। प्रकरण राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।	ACE-III/ CE-I
244.34	राजस्थान आवासन मण्डल की लाखेरी आवासीय योजना जिला बून्दी के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 121, अल्प आय वर्ग के 21 एवं मध्यम आय वर्ग–अ 04 आवासों फेज द्वितीय में अनुबन्ध संख्या 15/2012–13 के निर्माण कार्य में संवेदक को निर्मित आवासों पर व्यय राशि रुपये 669.13 लाख के विरुद्ध लागत में वसूल की गई रु. 660.20 लाख के अतिरिक्त वसूलनीय राशि रु. 8.93 लाख का समायोजन सी.ई.आर. मद से करने की कार्योत्तर स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की लाखेरी आवासीय योजना जिला बून्दी के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 121, अल्प आय वर्ग के 21 एवं मध्यम आय वर्ग–अ 04 आवासों फेज द्वितीय में अनुबन्ध संख्या 15/2012–13 के निर्माण कार्य में संवेदक को निर्मित आवासों पर व्यय राशि रुपये 669.13 लाख के विरुद्ध लागत में वसूल की गई रु. 660.20 लाख के अतिरिक्त वसूलनीय राशि रु. 8.93 लाख का समायोजन सी.ई.आर. मद से करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
244.35	मण्डल, मुख्यालय, जयपुर में अनुबन्ध पर 10 मल्टी टास्क वर्कर्स लगाए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मण्डल, मुख्यालय, जयपुर में अनुबन्ध पर 10 मल्टी टास्क वर्कर्स लगाए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary

244.36	संचालक मण्डल की 242वी बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 242.04 के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह भाटी को मण्डल में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (सूचना सहायक) के पद पर दी गयी नियुक्ति को निरस्त करने के संबंध में निर्णय लेने बाबत्।	विचार–विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि श्री महेन्द्र सिंह भाटी को अंतिम नोटिस दिया जाये कि वह 15 दिन में ज्योइनिंग प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त मानी जायेगी।	Secretary
244.37	संचालक मण्डल की बैठक 243.21 में लिये गये निर्णयानुसार नगर नियोजक सहायक/वास्तुविद सहायक से सहायक नगर नियोजक/सहायक वास्तुविद के पद पर पदोन्नति के लिये कार्य अनुभव के संबंध में।	प्रस्तावानुसार नगर नियोजक सहायक/वास्तुविद सहायक से सहायक नगर नियोजक/सहायक वास्तुविद के पद पर पदोन्नति के लिये कार्य अनुभव दो वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
244.38	माननीय विधायकों हेतु विधायक नगर (पश्चिम) में निर्माण किये जाने वाले बहुमंजिले फ्लेट्स के संबंध में।	माननीय विधायकों हेतु विधायक नगर (पश्चिम) में निर्माण किये जाने वाले बहुमंजिले फ्लेट्स के संबंध में की गयी समस्त कार्यवाही के संबंध में मुख्य अभियंता प्रथम द्वारा जानकारी दी गई । जिस पर संतोष व्यक्त किया गया।	DHC(QC)/ CE (HQ)
244.39	राजस्थान आवासन मण्डल की लाखेरी आवासीय योजना जिला बून्दी के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग–अ 19 आवास फेज द्वितीय में अनुबन्ध संख्या 34/2013–14 के निर्माण कार्य में संवेदक को निर्मित आवासों पर व्यय राशि रुपये 220.58 लाख के विरुद्ध लागत में वसूल की गई राशि रु. 190. 58 लाख के अतिरिक्त वसूलनीय राशि रु. 30.40 लाख का समायोजन सी.ई. आर मद से करने की कार्योत्तर स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की लाखेरी आवासीय योजना जिला बून्दी के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग–अ 19 आवास फेज द्वितीय में अनुबन्ध संख्या 34/2013–14 के निर्माण कार्य में संवेदक को निर्मित आवासों पर व्यय राशि रुपये 220.58 लाख के विरुद्ध लागत में वसूल की गई राशि रु. 190.58 लाख के अतिरिक्त वसूलनीय राशि रु. 30.40 लाख का समायोजन सी.ई.आर मद से करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	ACE (III)
244.40	नीलामी के ऐसे प्रकरणों में जिनकी राशि जमा कराने की तिथि 15.03.2020 के पश्चात की हैं कोविड–19 के मद्देनजर उनकी तिथि दिनांक 31.12. 2020 तक बढाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार नीलामी के ऐसे प्रकरणों में जिनकी राशि जमा कराने की तिथि 15.03.2020 के पश्चात की हैं कोविड–19 के मद्देनजर उनकी तिथि दिनांक 31.12. 2020 तक बढाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
244.41	ई–सबमिशन के द्वारा "अपनी दुकान अपना व्यवसाय" के अन्तर्गत विक्रय की गई सम्पत्तियों की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु संबंधित उप आवासन आयुक्त को अधिकृत करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार ई–सबमिशन के द्वारा "अपनी दुकान अपना व्यवसाय" के अन्तर्गत विक्रय की गई सम्पत्तियों की स्वीकृति हेतु संबंधित उप आवासन आयुक्त को अधिकृत किया गया लेकिन यदि कोई प्रकरण अस्वीकृत किये जाने है उन्हें आवासन आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात ही निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	FA

244.42	दिनांक 31.12.2020 तक नकद भुगतान/किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत विक्रित सम्पत्तियों की वांछित पूर्ण एवम आंशिक राशि तथा बकाया मासिक किश्तों की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवम शास्ति में छूट प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार दिनांक 31.12.2020 तक नकद भुगतान/किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत विक्रित सम्पत्तियों की वांछित पूर्ण एवम आंशिक राशि तथा बकाया मासिक किश्तों की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में छूट प्रदान करने बाबत कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा इसका प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक एवं आउटडोर मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार/प्रसार किया जाये, ताकि अधिकाधिक लोग इसका लाभ उठा सके।	FA/ PRO
244.43	मानसरोवर योजना, जयपुर में आवासीय भूखण्ड संख्या 4/211 की अवस्थिति को मानसरोवर योजना, जयपुर से प्रताप नगर योजना, जयपुर में स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार मानसरोवर योजना, जयपुर में आवासीय भूखण्ड संख्या 4/211 की अवस्थिति को मानसरोवर योजना, जयपुर से प्रताप नगर योजना, जयपुर में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि समतुल्यता के संबंध में पत्रावली में परीक्षण/विश्लेषण भी किया जाये।	CE-I
244.44	मानसरोवर योजना के सेक्टर–8, में आंशिक संशोधन करते हुए अरावली मार्ग पर स्थित भूखण्ड को वुडलैण्ड से संस्थानिक करने बाबत् विचारार्थ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त मानसरोवर योजना के सेक्टर–8, में आंशिक संशोधन करते हुए अरावली मार्ग पर स्थित भूखण्ड को वुडलैण्ड से रिजर्व लैण्ड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। विचार–विमर्श के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि मानसरोवर की वाणिज्यिक भूमि में जो सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है उसके एवज में उपलब्ध वुडलैड की भूमियों में से सिटी पार्क की भूमि का उपयोग परिवर्तन कर समायोजन किये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा।	ACTP
244.45	राज्य सरकार के अनुरुप राजस्थान आवासन मण्डल में कम्प्यूटर संवर्ग का कैडर निर्धारित करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राज्य सरकार के अनुरुप राजस्थान आवासन मण्डल में कम्प्यूटर संवर्ग का कैडर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	Secretary

244.46	राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 के अध्याय 2 के नियम 7 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधान में संशोधन किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 के अध्याय 2 के नियम 7 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधान में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	CEM
244.47	15वीं विधानसभा के माननीय विधायकगण को रियायती दर पर आवास/फ्लेट उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार 15वीं विधानसभा के माननीय विधायकगण को रियायती दर पर आवास/फ्लेट उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को निर्णयार्थ भेजे जाने का निर्णय लिया गया तथा राज्य सरकार से यह निवेदन किया जावे कि आवास/फ्लेट्स की लागत एवं दी जाने वाली रियायती दर के कारण जो भी अंतर राशि है, उसकी गणना मण्डल द्वारा की जावेगी व राज्य सरकार इस अन्तर राशि की प्रतिपूर्ति (compensation) भूमि/सम्पत्ति/नगद राशि के रूप में दी जावे।	CEM
244.48	व्यावसायिक भूखण्डों की न्यूनतम बिड मूल्य से प्राप्त उच्चतम बोली को अस्वीकार नहीं करने बाबत्।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/नियम/2020, दिनांक 07.01.2020 के अनुरूप व्यावसायिक भूखण्डों की न्यूनतम बिड मूल्य से प्राप्त उच्चतम बोली को अस्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी सम्पत्ति विशेष के लिये एम.बी.पी. में वृद्धि की जानी है तो बिड़ से पहले ही क्षेत्रीय अधिकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करे। ई–ऑक्शन के संबंध में मंडल के कम्प्यूटर विंग द्वारा किये जा रहे प्रशंषनीय कार्यों की महत्ती सराहना की गई।	FA
244.49	भवन विनियम–2020 राजस्थान आवासन मण्डल में लागू किये जाने बाबत् विचारार्थ।	प्रस्तावानुसार भवन विनियम–2020 राजस्थान आवासन मण्डल में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। मुख्य नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डल की पुरानी योजनाओं को पुनर्विकसित (Redevelop) करने के भी प्रयास किये जाये, जिसके निर्देश मुख्य नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत किये जायेगे।	ACTP

244.50	राजस्थान आवासन मण्डल के कार्मिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु निजी चिकित्सालयों को अधिकृत किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के कार्मिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु प्रस्तावानुसार निजी चिकित्सालयों को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया । यह भी स्पष्ट किया गया कि इन चिकित्सालयों की दर एस.डी.एम.एच.जैसे तीन चिकित्सालयों की औसत दर से अधिक न हो। यदि औसत दर से अधिक का बिल हो तो लेखा शाखा औसत दर के अनुरूप ही पुनर्भरण करें।	Secretary
244.51	प्रथम अपील संख्या 1617/2019, राजस्थान आवासन मण्डल बनाम जवाहर लाल, माननीय राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण हेतु वादी एवं मण्डल के मध्य आपसी समझौते के आधार पर प्रकरण को निस्तारण हेतु बोर्ड बैठक में सम्मिलित किये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार प्रथम अपील संख्या 1617/2019, राजस्थान आवासन मण्डल बनाम जवाहर लाल, माननीय राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण हेतु वादी एवं मण्डल के मध्य आपसी समझौते के आधार पर प्रकरण को निस्तारण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	DL

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

244.52	मानसरोवर आवासीय योजना में वी.टी. रोड़ एवं अरावली मार्ग के मध्य प्रस्तावित सिटी पार्क परियोजना में Entrance Plaza & Parking Area विकसित करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मानसरोवर आवासीय योजना में वी.टी. रोड़ एवं अरावली मार्ग के मध्य प्रस्तावित सिटी पार्क परियोजना में Entrance Plaza & Parking Area विकसित करने हेतु 1980 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।	ACE (III)
244.53	राजस्थान आवासन मण्डल की दादाबाड़ी विस्तार योजना में स्थित भूमि नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित करने बाबत।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की दादाबाड़ी विस्तार योजना में स्थित भूमि नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि के बदले प्रतिपूर्ति (compensation) के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन ले लिया जावे।	ACE (III)
244.54	सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार के लिए 4 सोशल मीडिया विशेषज्ञ संविदा पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हायर करने की स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार के लिए 4 सोशल मीडिया विशेषज्ञ संविदा पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हायर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	PRO
244.55	राजस्थान आवासन मण्डल में राज्य सरकार के अन्य विभागों से तकनीकी एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल में राज्य सरकार के अन्य विभागों से तकनीकी,	CE-(HQ)

	प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने बाबत।	कम्प्यूटर(IT) एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने का निर्णय लिया गया।	

अध्यक्ष महोदय द्वारा उठाये गये निम्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा की गई:-

मण्डल में विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है ? राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त क्या प्रक्रिया अपनायी जावेगी ?	आयुक्त ने जानकारी दी कि मंडल में विभिन्न संवर्गो के 573 रिक्त पद है एवं प्रतिमाह 8–10 पद रिक्त हो रहे है, जिससे बोर्ड का कार्य प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निजी एजेन्सी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की जायेगी।	
अधिशेष एवं अविक्रित आवासों के निस्तारण के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है?	1.अधिशेष आवासों के निस्तारण हेतु जो रिबेट दी जा रही है। इसका प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं आउटडोर मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। 2.जहाँ अधिशेष एवं अविक्रित आवास है वहाँ पानी की टंकी, जन सुविधा यथा सड़क, सीवरेज, रोड़लाईट, बिजली–पानी आदि सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया जाये कमेटी एक माह में योजनावार प्रस्ताव प्रस्तुत करें। आवश्यक जन सुविधायें उपलब्ध कराने से एक ओर वहाँ के निवासियों को सुविधा उपलब्ध होगी वहीं दूसरी ओर योजना में अविक्रित आवासों के प्रति आम जन का रूझान होगा और अधिशेष/अविक्रित आवासों का निस्तारण होगा।	
मण्डल द्वारा भविष्य में विभिन्न गतिविधियों के लिए भूमि अधिग्रहण एवं लेण्ड पुलिंग प्रक्रिया के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की स्थिति ।	1. विवादित भूमि जो मण्डल के लिये उपयोगी है तथा 25 प्रतिशत भूखण्ड के बदले आपसी सहमति से प्राप्त हो सकती है उसके प्रस्ताव तैयार कर एक माह में राज्य सरकार को भेजे। 2. जो भूमि मंडल के लिये अनुपयोगी है उसको छोड़ने के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे। 3. आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि मंडल में उपलब्ध वित्तीय साधनों को भूमि में परिवर्तित किया जाता है तो भविष्य में मण्डल की स्थिति सुदृढ़ होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी ऐसी सरकारी भूमि /सिवावयचक भूमि का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव भेजे जो मण्डल के लिये उपयोगी है। 4. नगरीय विकास विभाग के संयुक्त शासन सचिव, उप नगर नियोजक	

	कैम्प अयोजित कर समझौते से प्राप्त होने वाली भूमि के संबंध में निर्णय हेतु 10–12 जनवरी तक बैठके करें। बैठक के उपरान्त follow up बैठक भी प्रगति की समीक्षा हेतु रखी जाएें। 4. राजस्थान आवासन मण्डल रीको/ नगर विकास न्यास/आदि के साथ संयुक्त बैठक कर उनके क्षेत्र में उपलब्ध भूमि के optimal utilization पर विचार करते हुये प्रस्ताव तैयार करें।	

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संचिता बिश्नोई)
सचिव